न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एस०सी०/एस०टी० एक्ट),
सन्त कबीर नगर।

UPSK010029212022

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1380/2022

1.हेमन्त, पुत्र–कैलाश
2.प्रेम, पुत्र–नरायन
3.कैलाश, पुत्र–नरायन
4.जितेन्द्र उर्फ जीतू, पुत्र–कैलाश
5.सुशीला, पत्नी–कैलाश
ग्राम–सोनाड़ी (हैंसर बाजार), थाना–धनघटा, संत कबीर नगर।

.....आवेदक/अभियुक्तगण

परिवाद सं०–02/2021
धारा–147, 323, 504, 506 IPC
व 3(1)द,ध Sc/ST Act
थाना–धनघटा, जिला–संत कबीर नगर।

<u>निस्तारण जमानत प्रार्थना पत्र</u>

आवेदक/अभियुक्तगण **हेमन्त, प्रेम, कैलाश, जितेन्द्र उर्फ जीतू एवं सुशीला** द्वारा उपरोक्त मामले में यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है।

प्रार्थिनी/परिवादिनी ज्ञानमती की ओर से यह कथन किया गया है कि वह सोनाड़ी (हैसरबाजार), थाना–धनघटा की स्थायी निवासिनी है। दिनांक–30.11.2020 सुबह आठ बजे अपने बाहर के बरामदे में बैठी थी कि अचानक हेमन्त पुत्र कैलाश , प्रेम पुत्र नरायन, कैलाश पुत्र–नरायन, जीतू पुत्र कैलाश, शरदेन्तु पुत्र कैलाश, सुशीला पत्नी कैलाश आकर गाली गुप्ता व जानमाल की धमकी देने लगे तथा जाति सूचक गाली बेल्दार कहते हुए कैलाश ने पीठ पर दो लाठी मारा तथा जीतू उसके सिर का बाल पकड़ कर जमीन पर पटक दिये। जब प्रार्थिनी की सास पानमती झगड़ा छुड़ाने दौड़ी तो उन्हें भी लाठी व लात, मूका से मारते हुए ढकेल दिये,वे जमीन पर गिर पड़ी। कहने लगे कि हम किराये का तुम्हारा मकान नहीं खाली करेगे और न ही किराया देगे तथा न ही तुम्हें रहने देगे और न ही विक्रय करने देगे। हमारे विरूद्ध दीवानी मुकदमा दाखिल की हो उसे उठा लो अन्यथा जान से खत्म कर देगे। विपक्षीगण अपने घर का गन्दा पानी प्रार्थिनी के दरवाजे पर बहाते रहते है जिससे दरवाजे पर दुर्गन्ध बनी रहती है। जिस समय प्रार्थिनी को मारपीट रहे थे उसी समय सास पानमती व रामवृक्ष पुत्र गुरूदीन व प्रार्थिनी के ससुर बुद्धू उसे बचाने लगे तो उन्हें भी लात, मूका व लाठी से मारने लगे। जब प्रार्थिनी ने शोर किया तो मौके पर उसके गले में सोने का मंगल सूत्र व बाये कान में सोने की बाली खीच लिये। कान से खून बहने लगा व साड़ी की छोर से करीब 1000/– रूपया था, जिसे प्रेम पुत्र नरायन ने छीन लिया। शरदेन्दु प्रार्थिनी के ब्लाउज के दाहिने बांह के कपड़े को खींच कर फाड़ दिया। किसी तरीके से मौका पाकर प्रार्थिनी ने घर की सिटकिनी को अन्दर से बन्द कर दिया। उक्त छः मिल्जमान एकजुट होकर जोर–जोर से दरवाजा थपथपाने लगे और दरवाजा खुल गया। अन्दर घुस कर प्रार्थिनी के साथ जीतू व शरदेन्तु छेड़खानी करने लगे और जब प्रार्थिनी घर में से बाहर निकल कर शोर किया तो उसकी सास, रामवृक्ष, सरफू

व अगल बगल के ज्यादे लोग मौके पर एकत्रित हो गये और झगड़ा छुड़ाने लगे। मुल्जिमान ज्यादे भीड़ देखकर अपने घर की तरफ भाग गये

आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजन अधिकारी को सुना तथा सुसंगत पुलिस प्रपत्रों व पुलिस द्वारा प्रेषित आख्या का अवलोकन किया।

आवेदक/अभियुक्तगण की तरफ से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा अन्य किसी न्यायालय में न तो दाखिल है न ही विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है। प्रार्थीगण निर्दोष है। प्रार्थीगण को महज रंजिशन झूठे फर्जी मुकदमें में फंसाया गया है। प्रार्थीगण ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे प्रार्थीगण को अपराधी समझा जा सके। परिवादिनी के ससुर बुद्धू ने एक दिवानी दावा सिविल जज (सी०डि०) संत कबीर नगर के न्यायालय में दाखिल किया है। कत्तई कोई दावा जैसा कि परिवादिनी ने अपने बयान में अथवा पी०डब्लू० 01 व पी०डब्लू० 02 ने अपने बयान में कहा है, का आधार लेकर दावा प्रस्तुत नहीं किया है और न ही मुल्जिमान परिवादिनी के किराएदार है। प्रार्थीगण ने न तो मारा पीटा है, न ही जातिसूचक गाली दिया है और न ही जान से मारने की धमकी दिया है। प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थीगण विचारण में पूर्ण सहयोग करेगे। उक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने की माँग की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किये गये है कि आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा को मारा पीटा गया तथा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली दी गयी। उक्त तर्कों के आधार पर जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक /अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध एस०सी०/एस०टी० एक्ट को छोड़कर शेष सभी आरोपित धारायें मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अभियोजन द्वारा आवेदक/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्तगण की पूर्व दोष–सिद्धि का कोई साक्ष्य नहीं है। आवेदक /अभियुक्तगण न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक–14.10.2022 के अनुपालन में स्वयं से आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय में उपस्थित है। मामला परिवाद से संबंधित है। उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में अपराध की प्रकृति , गंभीरता तथा कथित अपराध में अभियुक्तगण की भूमिका को विचार में लेते हुए, गुण दोष पर कोई मत व्यक्त किये बगैर, प्रश्नगत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्तगण **हेमन्त, प्रेम, कैलाश, जितेन्द्र उर्फ जीतू एवं सुशीला** प्रत्येक द्वारा **25–25 हजार रुपये** के **व्यक्तिगत बंधपत्र** तथा समान धनराशि के **दो–दो सक्षम प्रतिभू** दाखिल करने पर निम्न शर्तों के अधीन कि–

1. अभियुक्तगण प्रत्येक नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगे,
2. अभियुक्तगण अभियोजन साक्षियों पर अनावश्यक दबाव नहीं डालेगे,
3. अभियुक्तगण विचारण में पूर्ण रूप से सहयोग करेगे,

अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जाए।

(दिनेश प्रताप सिंह)
जे०ओ०कोड–UP01531
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी०) एक्ट,
सन्त कबीर नगर।

दिनांक–20.10.2022

Digitally signed by DINESH PRATAP SINGH
Date: 2022.10.20 16:43:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court